प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016

ijh{kk lpkyu ,o Hkrh fu;e ifLrdk

vkuykbu vkonu&i=			
भरने की प्रारम्भ तिथि : 12.04.2016		भरने की अंतिम तिथि : 11.05.2016	
मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 12.04.2016		में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 16.05.2016	
परीक्षा दिनांक व दिन		17-07-2016 jfookj	
ijh{kk 'kqYd			
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		दो प्रश्न पत्र के लिये	:- 700@&
		एक प्रश्न पत्र के लिये	:- 500@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		दो प्रश्न पत्र के लिये	:- 350@&
		एक प्रश्न पत्र के लिये	:- 250@&
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क :- 70@& अतिरिक्त देय होगा।			

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
आरक्षक संवर्ग/ प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)				
17.07.2016 रविवार	एक	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)				
17.07.2016 रविवार	एक	अपरान्ह 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

3- vkuykbu vkonu&i= Øekd d }kjk gh fyf[kr ijh{kk gr vH;FkhZ viuk ioz'k&i= iklr dj ldr gA vr% vkonu&i= Øekd vko';d :i l lHkky dj j[k ftldh leLr@ftEenkjh vkond dh gh gkxhA

4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है

5. मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] iudkM] Mk;fox yk;l l] vdlph e; QkVkxkQ] cd ikLcqd e; QkVkxkQ rFkk iklikV e l dkb ,d vFkok vU; dk p;fur dj ldrk gA b vk/kkj ekU; ugh gA

6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016

fo"k;&lph

l- Ø-	v/;k;	fooj.k	i"B Ø-
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासनके अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए विभागीय नियम	3&19
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंध नियमावली	20&31
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	32
4	ik:i&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	33&36
5.	ik:i&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	37
6.	ik:i&3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	38
7	ik:i&4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	39

in dk uke & vkj{kd l ox] inokj vkj{k.k rkfydk ¼iR;d in gr iFkd&iFkd Hkjk tkoxk½

Øekd	J.kh	fuy		fodykx			Hkr iol lfud		;kx
		vkiu	efgyk	ckf/kr	vkiu	efgyk	vkiu	efgyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनारक्षित	**6291**	**1311**	**0**	**0**	**0**	**832**	**0**	**8434**
2	अनुसूचित जाति	**1447**	**294**	**0**	**0**	**0**	**176**	**0**	**1917**
3	अनुसूचित जन जाति	**1935**	**349**	**0**	**0**	**0**	**237**	**0**	**2521**
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	**1090**	**196**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**1411**
;kx &|		**10763**	**2150**	**0**	**0**	**0**	**1370**	**0**	**14283**

e-i- d fo'k"k vkfne tutkfr lenk; cxk] lgkfj;k ,o Hkkfj;k vulfpr tutkfr d vH;fFk;k dk vkonu i= iLrr dju d fy;s foHkkxk dh lph &

स.क्र.	विभाग का नाम	अकार्यपालिक पदों का विवरण
lHkh in rrh; ,o dk;ikfyd J.kh d gku d dkj.k lph fujd		

अध्याय – 1
पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :–

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र.– पुमु/2–चयन/स–3/5 ए/16 दिनांक 16.01.2016 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक (जी. डी.), आरक्षक (रेडियो), आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (ट्रेड), एवं प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) तथा सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

1.2 परिभाषायें :–

(क) ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

(ख) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

(ग) ''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

(च) ''पी.ई.बी.'' से अभिप्रेत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।

(छ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

(ज) ''समिति'' से अभिप्रेत है – पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(झ) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ।

(ट) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा।

(ढ) ''तृतीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित वाहन चालन या ट्रेड–टेस्ट की परीक्षा।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

आरक्षक संवर्ग, प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के रिक्त पदों का एकजाई विवरण

क्र.	पद नाम	रिक्त पदों का विवरण																			
		अनारक्षित				अजा				अजजा				अपिव				कुल			योग
		कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	कुल	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	ओपन	महिला	भू.पू. सैनिक	
1	आरक्षक (जी.डी.	**7194**	5202	1270	722	**1551**	1112	280	159	**2138**	1588	333	217	**1123**	824	185	114	**8726**	**2068**	**1212**	**12006**
2	आरक्षक (चालक)	**534**	482	0	52	**171**	162	0	9	**168**	159	0	9	**119**	115	0	4	**918**	**0**	**74**	**992**
3	आरक्षक (कुक)	**246**	220	0	26	**39**	37	0	2	**60**	56	0	4	**39**	38	0	1	**351**	**0**	**33**	**384**
4	आरक्षक (नाई)	**43**	42	0	1	**8**	8	0	0	**13**	13	0	0	**27**	26	0	1	**89**	**0**	**2**	**91**
5	आरक्षक (धोवी)	**47**	46	0	1	**17**	17	0	0	**17**	17	0	0	**17**	17	0	0	**97**	**0**	**1**	**98**
6	आरक्षक (मोची)	**17**	16	0	1	**20**	20	0	0	**6**	6	0	0	**4**	4	0	0	**46**	**0**	**1**	**47**
7	आरक्षक (वाटर कैरियर)	**115**	105	0	10	**20**	20	0	0	**23**	22	0	1	**18**	18	0	0	**165**	**0**	**11**	**176**
8	आरक्षक (स्वीपर)	**42**	40	0	2	**40**	38	0	2	**14**	14	0	0	**14**	14	0	0	**106**	**0**	**4**	**110**
9	आरक्षक (मेसन)	**34**	31	0	3	**5**	5	0	0	**17**	16	0	1	**10**	9	0	1	**61**	**0**	**5**	**66**
10	आरक्षक (बिगुलर)	**21**	20	0	1	**5**	5	0	0	**5**	5	0	0	**4**	4	0	0	**34**	**0**	**1**	**35**
11	आरक्षक (टेट खलासी)	**16**	16	0	0	**1**	1	0	0	**10**	10	0	0	**1**	1	0	0	**28**	**0**	**0**	**28**
12	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	**100**	57	33	10	**32**	18	11	3	**40**	23	13	4	**28**	16	9	3	**114**	**66**	**20**	**200**
13	सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	**25**	14	8	3	**8**	4	3	1	**10**	6	3	1	**7**	4	2	1	**28**	**16**	**6**	**50**
योग		**8434**	6291	1311	832	**1917**	1447	294	176	**2521**	1935	349	237	**1411**	1090	196	125	**10763**	**2150**	**1370**	**14283**

in dk uke & vkj{kd lox] inokj vkj{k.k rkfydk ¼iR;d in grq iFkd&iFkd Hkjk tkoxk½ ¼ifjf'k"V&2½									
Øeka	J.kh	fuy		fodykx			Hkr iio lfud		;kx
		vkiu	efgyk	ckf/kr	vkiu	efgyk	vkiu	efgyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनारक्षित	**6291**	**1311**	**0**	**0**	**0**	**832**	**0**	**8434**
2	अनुसूचित जाति	**1447**	**294**	**0**	**0**	**0**	**176**	**0**	**1917**
3	अनुसूचित जन जाति	**1935**	**349**	**0**	**0**	**0**	**237**	**0**	**2521**
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	**1090**	**196**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**1411**
;kx %&		**10763**	**2150**	**0**	**0**	**0**	**1370**	**0**	**14283**

''इस चयन प्रक्रिया में 36वीं बटालियन वि.स.बल (भारत रक्षित) बालाघाट के लिये स्वीकृत पद शामिल हैं।''

नोट–(1)म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/ब–2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये नगर सैनिक के रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये।

(2) म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/2076/7463/2015/बी–4/दो भोपाल दिनांक 19.06.2015 द्वारा महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत 'हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है ।

(3) म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रेल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ये तीनों ही हॉरीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 33 प्रतिशत महिलायें, तथा 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। होमगार्ड सैनिकों के लिये आरक्षण **''हारीजोन्टल – ओवरआल''** स्वरुप का है जबकि महिलाओं तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये आरक्षण **''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज''** स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (संदर्भ : **1992 SUPP (3) SCC-217**) में स्पष्ट किया गया है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ : **1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173)** का अनुसरण किया जाता है ।

(4) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 **नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–**

1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 अगस्त 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। **अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0 राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।**

1.4.4 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

1.5 पद का वेतनमान :–

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	आरक्षक संवर्ग	रूपये 5200 – 20200	रूपये 1900/–
2.	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	रूपये 5200 – 20200	रूपये 2100/–
3.	सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	रूपये 5200 – 20200	रूपये 2400/–

आरक्षक (सवंर्ग) पद का वेतनमान रूपये 5200 –20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1900/– होगा। समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियॉं देय होगी। म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.6 परीक्षा केन्द्र :– परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय–2 में देखें।

1.7 निर्धारित आयु सीमा :–

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

1.8 उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट :–

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :

1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 01 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।**

1.8.2 वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी।

1.8.3 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी। मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1.8.4 यहॉं स्पष्ट करना आवश्यक है कि **स्थानीय निकायों** जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त **नहीं** है।

1.8.5 स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.8.6 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 31 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.8.7 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे ।

नोट– 1. भूतपूर्व सैनिक सवंर्ग में भू–सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.8.8 मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

1.9 मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें –

1.9 .1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.9.3 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.9.4 बिन्दु 1.9.1 से 1.9.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.9.1 से 1.9.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.8.1 से 1.8.8 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

1.10 बच्चे सम्बन्धी :–

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1.11 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय–3 में दर्शाए गए हैं।

1.12 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :–

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :–

1.12.1 ऊंचाई : पुरूष – 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, ऊंचाई :

पुरूष – 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिये,

महिला – 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिये,

1.12.2 सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये,

सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 76 सेंटीमीटर/फुलाने पर 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिये,

महिलाओं के लिये सीने की कोई माप नहीं होगी,

अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं । इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

1.12.3 विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों हेतु विसबल नियम, 1973 के नियम 21 एवं 22 के निम्नानुसार प्रावधान लागू रहेगें :–

	जाति	विसबल नियम 22
ऊँचाई	सामान्य जाति	5′6″ = 167.64 से.मी.
	गोरखा, गढ़वाली, कुमांउ के मामलों में	5′2″ = 157.48 से.मी.
	मराठों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये	5′5″ = 165.10 से.मी.

1.12.4 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.12.5 अभ्यर्थी में नॉक–नी अथवा फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोट–(1) यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें ।

(2) चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जावेगी।

(3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

1.13 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

क्र.	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताऐं	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताऐं
1	आरक्षक (जीडी)	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	आरक्षक (चालक)	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं ।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं।
3	आरक्षक (ट्रेड) कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलर	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं ।
4	आरक्षक (रेडियो)	10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 10वी कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
5.	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	1. 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिक, रसायन, गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटिड संस्था से कम्प्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा	1. 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिक, रसायन, गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटिड संस्था से कम्प्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा
6.	सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा राजीव गॉधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से कम्प्यूटर /आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा	यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा राजीव गॉधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से कम्प्यूटर /आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा

नोट– आरक्षक (चालक) के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं। यहां स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम वाहन से बड़े अर्थात भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस धारी व्यक्ति पात्र है। लेकिन मध्यम वाहन से छोटे अर्थात हलके वाहन का ड्रायविंग लायसेंस धारी व्यक्ति पात्र नहीं है।

स्पष्टीकरण 1 :– प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) की शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत ''उच्च शिक्षा'' से आशय सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यता है जो कि ''यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित/पंजीकृत/मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से कम्प्यूटर/आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या कम्प्यूटर/आई.टी. के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि है''।

स्पष्टीकरण 2 :– सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) की शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत ''उच्च शिक्षा'' से आशय ''कम्प्यूटर/आई.टी. के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि'' से है।

1.13.1 **शैक्षणिक योग्यता में छूट :–**

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.13.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, उदाहरण के लिये यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.14 आवेदन करने हेतु पात्रता :– मध्य प्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर आरक्षकों को निम्नलिखित चौदह समूहों में विभाजित किया गया हैं। उम्मीदवारों की बढ़ती हुई विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय को देखते हुये जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाओं, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, दूरसंचार शाखा, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा विशेष सशस्त्र बल में आरक्षकों/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) की चयन प्रकिया को पारदर्शी रखते हुये सुगम बनाने के उददेश्य से **एक लिखित परीक्षा(Common) आयोजित की जावेगी** इसके अतिरिक्त प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदों हेतु तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता के अनुरूप 100 अंकों का एक पृथक प्रश्न पत्र होगा। पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के विभिन्न पदों के चौदह समूह नीचे तालिका के कालम 4 में दर्शाये गये हैं। दक्षता एवं कार्य कुशलता बनाये रखने के लिये एक उम्मीदवार को चयन परीक्षा में चौदह समूहों में से किसी भी एक समूह के पदों हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार आवेदन करने की पात्रता होगी :–

क्रमांक	पदनाम	पदस्थापना की शाखाएं	चयन परीक्षा में आवेदन करने का समूह
1	आरक्षक (जीडी) जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, सायबर सेल,	समूह–A
2	आरक्षक (जीडी) विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर, रा.औ.सु.ब. पु.मु. भोपाल	समूह–A

3	आरक्षक(विशेष शाखा)	विशेष शाखा	समूह–A
4	आरक्षक (अ.अ.वि.)	अपराध अनुसंधान विभाग,	समूह–A
4– A	आरक्षक(रेडियो)	पुलिस दूर संचार संगठन	समूह–A
5	आरक्षक (चालक) जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस अकादमी भौंरी, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, सायबर सेल,	समूह–B
6	आरक्षक (चालक) विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रा.औ.सु. बल पुमु भोपाल	समूह–B
7	आरक्षक (चालक) विशेष शाखा	विशेष शाखा	समूह–B
8	आरक्षक (ट्रेड) कुक जिला बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस अकादमी भौंरी, पुलिस प्रशिक्षण शालायें	समूह–C
9	आरक्षक (ट्रेड) कुक विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर, रा.औ.सु.बल पुमु भोपाल	समूह–C
10	आरक्षक (ट्रेड) कुक विशेष शाखा	विशेष शाखा	समूह–C
11	आरक्षक (ट्रेड) नाई जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस अकादमी भौंरी, पुलिस प्रशिक्षण शालायें	समूह–D
12	आरक्षक (ट्रेड) नाई विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रा.औ. सु.बल पुमु. भोपाल	समूह–D
13	आरक्षक (ट्रेड) धोबी जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी भौंरी	समूह–E
14	आरक्षक (ट्रेड) धोबी विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रा.औ.सु. बल पुमु. भोपाल	समूह–E
15	आरक्षक (ट्रेड) मोची जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी उमरिया, पुलिस अकादमी भौंरी	समूह–F
16	आरक्षक (ट्रेड) मोची विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रा.औ.सु. बल पुमु. भोपाल	समूह–F
17	आरक्षक (ट्रेड) वाटर कैरियर जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी भौंरी	समूह–G
18	आरक्षक (ट्रेड) वाटर कैरियर विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें,	समूह–G
19	आरक्षक (ट्रेड) स्वीपर जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी भौंरी,	समूह–H
20	आरक्षक (ट्रेड) स्वीपर विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रा.औ.सु. बल पुमु. भोपाल, आरएपीटीसी इंदौर,	समूह–H
21	आरक्षक (ट्रेड) स्वीपर	विशेष शाखा	समूह–H

	विशेष शाखा		
22	आरक्षक (ट्रेड) मेसन जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें,	समूह–J
23	आरक्षक (ट्रेड) मेसन विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें, रा.औ. सु.बल पुमु. भोपाल	समूह–J
24	आरक्षक (ट्रेड) बिगुलर जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी भौंरी	समूह–K
25	आरक्षक (ट्रेड) बिगुलर विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की बटालियनें,	समूह–K
26	आरक्षक (ट्रेड) टेंट खलासी जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी भौंरी	समूह–L
27	प्रधान आरक्षक कम्प्यूटर	राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पु.मु. भोपाल	समूह–N
28	सहायक उप निरीक्षक कम्प्यूटर	राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पु.मु. भोपाल	समूह–O

1.15 परीक्षा की योजना :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे, **जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे।** ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :–

1. प्रथम चरण : लिखित परीक्षा – प्रथम प्रश्न पत्र – समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु।
   लिखित परीक्षा – द्वितीय प्रश्न पत्र – प्र. आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पद के उम्मीदवारों हेतु।

नोट :– प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पद के उम्मीदवारों हेतु प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है।

2. द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीणता परीक्षा – प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिये,
3. तृतीय चरण : ट्रेड टेस्ट – केवल आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (ट्रेड) के लिये प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपरान्त पात्र उम्मीदवारों के लिये।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन (M.P Online) के माध्यम से भरे जाते है। किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण बोर्ड अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारो को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी।

यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्व

वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

1.15.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :–

कमांक	पद	लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतक अंक
1	आरक्षक संवर्ग/ प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	प्रथम प्रश्न पत्र	02 घंटे	100
2.	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	द्वितीय प्रश्न पत्र	02 घंटे	100

नोटः– (क)– लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पास मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। ई आधार मान्य नहीं है ।

(ख) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(ग) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(घ) लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये आरक्षक चयन की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :–

एक उम्मीदवार को चौदह समूहों में से किसी एक समूह के पदों के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिये जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों के 5 गुनी संख्या में बुलाया जावेगा।

(2) प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा कुल पूर्णाक 100 एवं 200 (लिखित परीक्षा–100 एवं 200) के आधार पर उनकी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। शेष उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने–अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के 5 गुने के लिये पृथक–पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।

यह सूचियां बनाने के बाद स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये ''ओवरआल हॅारीजेटंल आरक्षण'' एवं भू0पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॉरीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जावेगा। हारीजोन्टल ओवरआल अथवा कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ **:1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173**) का अनुसरण किया जाता है।

स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये 15 % ''ओवरआल हॅारीजेन्टल आरक्षण'' लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा से छूट है किन्तु होमगार्ड उम्मीदवारों को प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर), सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद पर चयन के लिये तभी विचार किया जावेगा जब वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों तथा प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रूप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये उनके लिये आरक्षित पदों के पांच गुना होमगार्ड सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेन्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंट वाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी तथा 10 प्रतिशत की 5 गुनी संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों एंव भू0पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के गैर आरक्षित उम्मीदवारों जो स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिक अथवा भू0पू0सैनिक नहीं हैं से पूरा किया जावेगा ।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियां जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेंटल'' आरक्षण हैं तथा योग्य महिलाए उपलब्ध न होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाते हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी, उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से पूरा किया जावेगा।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में रोल नम्बर के क्रम में चयन सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा ।

प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय/तृतीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाऊनलोड़ करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। मण्डल की वेबसाईट से डाऊनलोड़ किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा।

1.16 द्वितीय एवं तृतीय चरण – प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट :–

द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी (आवश्यकता अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है)।

1.16.1 प्रमाण पत्रों की जांच की प्रकिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जावेगी। यह कार्यवाही प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी । आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने

वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,

(4) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन–कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,

(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,

(6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,

(7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,

(8) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,

(9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(10) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(11) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

(12) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,

(13) आरक्षक (चालक) के पद हेतु मध्यम वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स अथवा उससे बड़े वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स,

(14) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु म0प्र0राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

नोटः– 1. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय–3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

2. यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो । यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी ।

1.16.2 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा तीन विधाओं, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक एवं लम्बी कूद में सम्पन्न की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नही दिये जायेगें यह केवल क्वालीफाईग होगी। इन तीन विधाओं को क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं :–

क्र.	पदनाम	800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय–सीमा	गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी	लम्बी कूद में सफल होने हेतु तय दूरी
1.	आरक्षक(जी.डी.)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप	2 मिनिट 45 सैकेण्ड	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	13 फीट

	निरीक्षक (कम्प्यूटर) पुरूष			
2.	आरक्षक(जी.डी.) / प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) महिला / महिला होमगार्ड	4 मिनिट	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0)	10 फीट
3.	आरक्षक (ट्रेडमेन / चालक)	3 मिनिट	निरंक	निरंक
4.	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	10 फीट
5.	होमगार्ड सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	17 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	12 फीट

नोट :–

1. आरक्षक (जी0डी0) / प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद हेतु पुरूष / महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त तीन विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. आरक्षक (ट्रेड) के उम्मीदवारो को मात्र 800 मीटर की दौड़ कराई जावेगी, जिसमें उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लम्बी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किये जायेंगे।

4. भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक संवर्ग के वे उम्मीदवार जो आरक्षक (ट्रेड) पदों हेतु आवेदन करते है, उन्हें एक मात्र विधा 800 मीटर दौड़–3 मिनिट 15 सैकेण्ड में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

5. 800 मीटर की दौड़ में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लम्बी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जावेगा।

नोटः– शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारो को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

1.16.3 ट्रेड टेस्ट / वाहन चालन का टेस्ट :–

आरक्षक ट्रेडमेन / चालक के लिये ट्रेड टेस्ट / वाहन चालन का टेस्ट क्वालीफाईंग स्वरुप का होगा। ट्रेड टेस्ट / वाहन चालन की वीडीयोग्राफी कराई जायेगी।

1.17 परीक्षा परिणाम की घोषणा –

1.17.1 चयन सूचीः (लिखित परीक्षा–कुल पूर्णाक 100 एवं 200) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा शारीरिक **प्रवीण्यता परीक्षा / ट्रेड़ टेस्ट में सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी।** सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। शेष उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक–पृथक सूचियाँ बनाई जायेगी।

1.17.2 यह सूचियां बनाने के बाद होमगार्ड के लिये ''ओवरऑल हॅारीजण्टेल आरक्षण'' एवं भू0पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॅारीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जाता है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रकिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ **: 1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173**) का अनुसरण किया जाता है ।

स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये 15 % ''ओवरऑल हॅारीजेण्टल आरक्षण'' लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए आरक्षक संवर्ग हेतु निर्धारित लिखित परीक्षा से छूट है **परंतु होमगार्ड सैनिकों को प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदों हेतु दोनों प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है।** होमगार्ड सैनिकों की वरियता(मेरिट), उनकी होमगार्ड सैनिक के रुप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये बनाई जावेगी। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का

सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा ।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेण्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंटवाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

प्रतिस्थापना की कार्यवाही भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। होमगार्ड एवं भू0पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि ऐसे पद उसी जाति वर्ग के अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों से भरे जावेगें ।

1.17.3 महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित पदों के अनुसार पृथक सूचियां बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेंटल आरक्षण हैं'' और योग्य महिलाए उपलब्ध नहीं होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाने हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी उस पद को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से भरा जावेगा।

1.17.4 लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा ।

1.17.5 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों की तैयार की गई सूची को मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। मण्डल द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में उक्त सूची में चयनित उम्मीदवारों से ईकाई में पदस्थापना की प्राथमिकता क्रम का विकल्प, एम.पी.ऑन–लाइन के पोर्टल के माध्यम से लिया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को एम.पी.ऑन–लाइन का शुल्क जमा करना होगा।

1.18 ईकाई में पदस्थापना दर्शाने वाली अंतिम चयन सूची :–

1.18.1 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके दर्शाई गयी ईकाईयों के प्राथमिकता क्रम में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियुक्ति प्रस्तावित करते हुये चयन सूची तैयार की जावेगी। यह चयन सूची पुलिस जोन वार एवं जिलावार बनाई जावेगी। किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का होगा ।

1.18.2 चयन समिति द्वारा सूची के अनुमोदन उपरान्त प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों का नाम एवं परिणाम उनकी वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। चयन सूची की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय भिजवाई जावेगी तथा संबंधित जोन एवं इकाई के नोटिस बोर्ड पर भी अविलंब चस्पा की जावेगी ।

1.18.3 चयन समिति को यह अधिकार होगा की यदि किसी इकाई के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के विकल्प प्राप्त नही होते है, तो सफल उम्मीदवारों की सूची से किसी विशिष्ट इकाई का विकल्प नही देने वाले उम्मीदवारों की पदस्थापना कर सकेगी।

1.19 यात्रा किराया :–

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को द्वितीय/तृतीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा दी जायेगी। **उक्त हेतु उम्मीदवारों को अपना खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आई.एफ.सी. कोड सहित पास–बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, द्वितीय चरण के समय प्रस्तुत करना होगा।**

1.20 चरित्र सत्यापन :–

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन के आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही–सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही–सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा–निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया

है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.21 स्वास्थ्य परीक्षण :–

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेंडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा ।

जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर यदि उम्मीदवार असंतुष्ट रहता है, तो उसे राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण कराये जाने हेतु अपील करने की पात्रता होगी तथा राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जावेगा। उम्मीदवार द्वारा अपील आवेदन उसे नियुक्ति हेतु आवंटित इकाई प्रमुख को ही करना होगा। इकाई प्रमुख द्वारा जिला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट संलग्न करते हुये राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने की कार्यवाही पश्चात, प्राप्त अभिमत अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

1.22 चयन सूची से नियुक्ति –

सीधी भर्ती के लिये उपरोक्त बिन्दु 1.17 के अन्तर्गत बनाई गई चयन सूची से ही नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जावेगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत रिमार्क न होने और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से फिट होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन अथवा सम्बन्धित कार्यालय में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

1.22.1 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

1.22.2 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1.22.3 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

1.22.4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र–शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

1.22.5 जो उम्मीदवार जिस ईकाई में नियुक्त किया जावेगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य ईकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।

1.22.6 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.23 **सामान्य निर्देश :–** उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश (G.O.P.) क्रमांक 137/2012 दिनांक 30/07/2012 एवं अद्यतन संशोधन दिनांक 06.01.2016 में अंकित प्रावधान अंतिम रुप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण बोर्ड अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में तथा चरित्र सत्यापन में सफल एवं योग्य होना आवश्यक है। उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानो, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूणतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

अति.पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय – 2
ikzQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ] Hkksiky] ijh{kk lapkyu fu;e ,oa funsZ'k
[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;FkhZ 'kS{kf.kd vgZrkvksa dk HkyhHkkfr v/;;u mijkUr gh vkosnu i= HkjsA

(ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) vkosnd dks fofHkUu foHkkxksa ds inksa gsrq ,d gh vkosnu i= iLrqr djuk vfuok;Z gSA inksa dh la[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k of) dh tk ldrh gSA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gky esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 iwoZ&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-6 ijh{kk i.o'k&i= (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।

(v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.7 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-8 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83 \quad \text{rounded off to } 92.00$$

mnkgj.k 02 :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89 \quad \text{rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91 \quad \text{rounded off to 1 92.00}$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo d nk vad rd jkmmMvkQ fd;k tk;xkA

2.9 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की संलिप्तता होने पर अथवा दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनुचित साधन ¼**Unfair means)**/यू. एफ.एम. (**UFM**½ ½ के अंतर्गत मान्य करते हुये समाप्त कर दी जायेगी ।

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

(xii) पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xiv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xv) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvi) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिंल से उत्तर अंकित किये जाने पर यू.एफ.एम. प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी ।

(xviii) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

2-11 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-12 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-13 ikQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ Hkksiky dk dk;Z iwoZ'k@Hkrh@ik=rk ijh{kkvksa dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-14 U;kf;d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2-15 vkuykbu vkonu&i= d lkFk lyXu fd; tku oky nLrkotk dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र i:k : i&07 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-16 vkuykbu vkonu i= d lkFk QkVk ,o gLrk{kj lyXu dju lca/kh funs'k %&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र i:k : i&07 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>vkonu Hkju dh frfFk</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>QkVkxkQ ij f[kpoku dh fnukd o vkond d uke dk Li"V mYy[k gkuk pkfg;A</u>

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-17 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Hkju dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-18 vkuykbu vkosnu Hkjus ds lca/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;foax ykblsal] vdlpht e; QksVksxzkQ] cSad iklcqd e; QksVksxzkQ rFkk iklikVZ dk iko/kku j[kk x;k gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dk uke ls gh bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa inku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dk vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vfdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugh gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-18 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की ocslkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-19 vkWuykbu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gSa%&
¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत
Application क्लिक कर
Vyapam लिंक में
परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु स्पदा के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–
¼v½ ØsfMV@MsfcV dkMZ ¼c½ bUVjusV cSfdax

2-20 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-21 bUVjusV cSfdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-22 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid

Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-23 fu/kkfjr frfFk e: tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e: l:'kk/ku dh 0;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-24 ,d ls vf/kd vkuykbu vkonu&i= Hkju: lc/kh fun'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त

होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-25 vkWuykbu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-26 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2-29 i|u%x.kuk@i|uelY;kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

[k.M&I

2-30 vkosnu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
12.04.2016	11.05.2016	30	12.04.2016	16.05.2016	35

2-31 vkuykbZu ijh{kk dk fooj.k

स. क्रं.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	आरक्षक संवर्ग/ प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर	17.07.2016	रविवार	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2.	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)	17.07.2016	रविवार	02 घंटे	सायं 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को काला करना होगा।

2-32 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स. क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	nks	700/–	350/–	70@&	fujad
02-	,d	500/–	250/–	70@&	fujad

(ii) la'kks/ku fd;s tkus ij ns; 'kqYd

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/–	50/–

2-33 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbZu ijh{kk dsUnz		
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. रायसेन
4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. उज्जैन
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. मुरैना
10 खण्डवा	11. खरगौन	12. सतना
13. सीधी	14. रीवा	15. सागर
16. बालाघाट	17. छतरपुर	18. छिन्दवाड़ा

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d: lc/k e: funs'k

2-34

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) बोर्ड की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) बोर्ड कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) बोर्ड की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii)अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्‌ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii)ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय – 3 .
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम .

लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र सभी पदों हेतु अनिवार्य होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे ।

(अ)	सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान	40 अंक
(ब)	बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि	30 अंक
(स)	विज्ञान एवं सरल अंक गणित	30 अंक

उक्त प्रश्न पत्र के अतिरिक्त प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदों के लिये पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को उपरोक्त दर्शित प्रश्न पत्र के साथ–साथ 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की भी परीक्षा देनी होगी, जो पाठ्यक्रम अनुसार सामान्यतः कम्प्यूटर नेटवर्किग साफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित होगी।

******

ए

अध्याय–4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर .... विकास खण्ड .... तहसील...........................जिला.................................संभाग.. जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक... पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

<u>प्रारूप–2</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।

अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील....................................... जिला....................................... संभाग...जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.. पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

<u>प्रारूप–3</u>

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पिता / पति का.... .... नाम ....निवास / ग्राम / नगर .... वि.ख..................तहसील..................जिला.. .... संभाग..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष / अपर जिलाध्यक्ष / उप जिलाध्यक्ष / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप–4

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..............................प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर ....वि.ख... तहसील...जिला.................................. संभाग...............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रारूप–5

(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................

आवेदक का नाम.................................

स्थान ....

दिनांक ....

प्रारूप–6
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर...

आवेदक का नाम एवं पता..............................

....

....

दूरभाष क्रमांक...

दिनांक ....

प्रारूप–7

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो यहाँ चिपकाये
4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

सहमति प्रमाण–पत्र

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल,

दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :..
पदनाम :..
सील :..

*****